



वर्षिक पोलदारी कार्य हेतु निविदा आमंत्रण

योजना के जॉब कॉन्ट्रैक्ट आधार पर पोलदारी कार्य तथा लोडिंग अनलोडिंग, शिपिंग, इन्टेक, स्टेकिंग, पैकिंग तथा अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु ई.पी.एफ., ई.एस., ई.एस.आई., लेबर कॉन्ट्रैक्ट का वैध लाइसेंस धारक सक्षम संवेदकों से मुहर बंद निविदा, निबंधित/कूरियर डाक द्वारा आमंत्रित की जाती है। उक्त पोलदारी कार्यों की कार्य अवधि 01.06.2018 से 31.05.2019 तक तथा अनुमानित लोडिंग अनलोडिंग सहित अन्यान्य कार्य – 1000 मे0टन प्रति माह (कैटल फीड प्लांट/मिनरल मिक्सचर प्लांट तथा बाई पास प्रोटीन प्लांट) एवं डेरी प्लांट (होटवार)– 250–500 मे0टन प्रति माह।

1. निविदा कागजात की उपलब्धि/ बिक्री की तिथि एवं समय: दिनांक 11.05.2018 पूर्वाह्न 10 बजे से 21.05.2018 के अपराह्न 04:00 बजे तक।
2. निविदा जमा की तिथि एवं समय : 26.05.2018 को कार्यालय में पूर्वाह्न 11:00 बजे तक।
3. निविदा प्रपत्र रू0 200/– (दो सौ) नगद जमा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा निविदा सम्बंधित अधिक जानकारी संस्था की वेबसाईट www.jmf.coop से डाउन लोड कर रू0 200/– (दो सौ) का किसी राष्ट्रीय कृत बैंक का ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" (Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd.) के नाम से भुगतये रॉची संलग्न कर भेजा जा सकता है।
4. बिना विवरण बताये सभी निविदा अथवा किसी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

प्रबंध निदेशक



लोडिंग /अनलोडिंग /शिफ्टिंग /स्टैकिंग /पैकिंग /ईनटेक एवं बैग आदि पोलदारी कार्य

हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता /फर्म का नाम :
2. पत्राचार का पता :
3. स्थायी पता :
4. मोबाइल न० :
5. पैन संख्या :
6. आधार संख्या :
7. GST संख्या :
8. भविष्य निधि खाता संख्या :
9. लेबर कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेन्स :
10. ई. एस. आई. कोड संख्या :
11. पूर्व अनुभव का विवरणी :
- (छाया प्रति संलग्न)
12. संवेदक का शपथ पत्र :
- (काली सूची में डाला गया है अथवा नहीं)
13. अग्रधन की राशि रुपये :
- शब्दों में :
- बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक
- निर्गत करने वाले बैंक का नाम
- शाखा

मेरे द्वारा दी गयी जानकारी सत्य है तथा निविदा के सभी शर्तें मान्य है | दी गयी जानकारी या उसके किसी अंश के किसी स्तर से गलत पाये जाने पर निविदा स्वतः रद्द कर दी जायेगी |

- नोट:-
1. निविदादाता प्रत्येक कार्य का दर अंक तथा शब्दों में साफ साफ अंकित करें |
 2. ओवरराइटिंग नहीं करें और कटिंग पर हस्ताक्षर करें.
 3. निविदा के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है |
 4. क्रमांक 5,6,7,8,9 एवं 10 का साक्ष्य स्वरूप प्रमाण पत्र या कोई अंकित दस्तावेज़ की छायाप्रति संलग्न करें |
 4. संवेदक अपना 2 कॉपी पासपोर्ट साइज़ फोटो संलग्न करें

दिनांक :

संवेदक का हस्ताक्षर



दर प्रपत्र :-

पशुआहार कारखाना के लिये

क्र. सं.	पोलदारी कार्यों का विवरण	दर
1.0	ट्रक से कच्चा माल उतार कर भण्डार में व्यवस्थित रखना, ट्रक खाली करते समय जो कच्चा माल नीचे गिरे उसे बोरा में भरकर भण्डार में रखना, तैयार माल के बोरा को कन्वेयर से उतार भण्डार में छल्ली लगाना, विभिन्न फ्लोर पर गिरे माल को बोरा में उठाकर यथा स्थान पर रखना, कच्चा माल तथा तैयार माल को एक स्थान से हटा कर दुसरे स्थान पर छल्ली लगाना, तैयार माल के छल्ली से ट्रक पर लोड करना ।	प्रति टन रु० पै० शब्दों में भी
1.1.	मिनरल मिक्सचर प्लांट से तैयार माल के छल्ली से मिनरल मिक्सचर कार्टन (12 kg का) ट्रक पर लोड करना ।	प्रति कार्टन रु० पै०
1.2.	पुराने जूट बैग को झारकर बण्डल बनाना (प्रत्येक बण्डल में कुल 25 पीस जूट बोरा होगा) तथा यथा स्थान पर रखना ।	प्रति बण्डल रु० पै०
1.3.	तैयार माल को मशीन द्वारा बैगिंग करना एवं बीच बीच में वजन की जाँच करना ।	प्रति टन रु० पै०
1.4.	पुराने प्लास्टिक बैग को झारकर बण्डल बनाना (प्रत्येक बण्डल में कुल 100 पीस प्लास्टिक बोरा होगा) तथा यथा स्थान पर रखना ।	प्रति बण्डल रु० पै०
डेरी प्लांट के लिये :		
2.1.	घी टिन (15kg) को उतार कर भंडार में रखना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखना तथा लोडिंग करना ।	प्रति टिन रु० पै०
2.2.	चीनी (25/50kg) तथा मिल्क पाउडर (25kg) बैग को उतार कर भंडार में रखना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखना तथा लोडिंग करना ।	प्रति टन रु० पै०
2.3.	अन्य भार 05 Kg - 25 Kg को उतार कर भंडार में रखना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखना तथा लोडिंग करना ।	प्रति टन रु० पै०
2.4.	अन्य भार 25 Kg - 50 Kg को उतार कर भंडार में रखना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखना तथा लोडिंग करना ।	प्रति टन रु० पै०
2.5.	अन्य भार 50 Kg - 75 Kg को उतार कर भंडार में रखना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखना तथा लोडिंग करना ।	प्रति टन रु० पै०
2.6.	अन्य भार 75 Kg - 100 Kg को उतार कर भंडार में रखना, एक स्थान से दुसरे स्थान पर रखना तथा लोडिंग करना ।	प्रति टन रु० पै०
2.7.	खाली कार्टन - 750 gm - 1250 gm (25 - 50 pcs प्रति बंडल)	प्रति बंडल रु० पै०
2.8.	खाली कार्टन - 1250 gm - 1750 gm (25 - 50 pcs प्रति बंडल)	प्रति बंडल रु० पै०



निविदा की शर्तें

1. निर्धारित समय के बाद तथा अग्रधन की राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. संवेदक को पैन कार्ड, सेवा कर निबंधन, ई०पी०एफ०कोड नं०, ई०एस०आई० कोड नं० एवं लेवर कांट्रैक्ट का बैध लाईसेन्स की निविदा के साथ स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. अकुशल श्रमिकों के आपूर्ति कार्य में अनुभव रखने वाले संवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी इसके लिए संवेदक को संतोषजनक प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. जब कांट्रैक्ट कार्य में सिर्फ अकुशल श्रमिक लगाए जाने हैं, अतः संवेदक द्वारा दिए जाने वाले दर में न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ता, बोनस सी०पी०एफ० / इ०एस०आई० अंशदान के साथ संवेदक कमिशन शामिल किया जाए, बाद में यदि सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में परिवर्तित की जाती है तो तदनु रूप समानुपाती रूप में परिवर्तनीय होगा | सेवा कर वर्तमान नियमानुसार होगा।
5. निविदा स्वीकार किये जाने पर संबंधित संवेदक को योजना के साथ निर्धारित 100/- मूल्य के ननजुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा, जिसकी अवधि एक वर्ष की होगी आपसी सहमति से यह अवधि पूर्व निर्धारित दर / शर्तों पर बढ़ायी जा सकती है कोई भी पक्ष 30 दिनों का नोटिस देकर एकरारनामा समाप्त कर सकता है।
6. निविदा के साथ **₹0 5,000.00** (पांच हजार रुपये) का अग्रधन की राशि डिमांड ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रकृत बैंक का "झारखण्ड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड," भुगतान राँची के नाम होगा अग्रधन की राशि असफल निविदादाताओं को चेक द्वारा वापस कर दिया जाएगा या डिमांड ड्राफ्ट जो निविदादाता द्वारा जमा किया जाएगा उसे भी लौटाया जा सकता है और जो निविदादाता निविदा में सफल होंगे उनके अग्रधन की राशि को जमानत की राशि के रूप में समायोजित कर लिया जाएगा तथा शेष बचे जमानत की राशि कुल ₹0 10,000.00 (दस हजार रुपये) कार्यादेश निर्गत की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा की अवधि तक के लिए कुल ₹0 15,000 (पंद्रह हजार रुपये) जमानत की राशि के रूप में जमा रहेगा जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
7. विभिन्न कार्यों में प्रतिदिन लगाये जाने वाले श्रमिकों का ब्योरा संवेदक द्वारा योजना को देना होगा तथा संवेदक द्वारा श्रम नियमों के अनुसार दी जाने वाली नगद मजदूरी तथा बोनस का भुगतान योजना के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष किया जाएगा सी०पी०एफ०/ ई०एस०आई० अंशदान जमा कराने का पूर्ण ब्योरा/ पंजी आदि संवेदक द्वारा रखा जाएगा तथा अगले विपत्र के साथ साक्ष्य/ चालान की छाया प्रति संलग्न करना होगा। इससे सम्बंधित किसी भी विवाद की पूरी जिम्मेवारी संवेदक की होगी इसके अतिरिक्त किसी अन्य वैधानिक आवश्यकता के अनुपालन की जिम्मेवारी भी संवेदक की होगी।



8. संवेदक द्वारा पारिमानिक या मासिक विपत्र दो प्रति में दिया जाएगा जिसका भुगतान एकाउंट पेयी चेक द्वारा किया जाएगा। भुगतान पर नियमानुसार कर की कटौती की जाएगी।
9. कच्चे माल, पैकिंग मटेरियल, उपकरण, विद्युत, पानी तथा स्थान आदि की व्यवस्था योजना द्वारा की जाएगी सफाई कार्य हेतु आवश्यक डिटेर्जेंट उपकरण बागवानी सामग्रियाँ योजना द्वारा उपलब्ध की जाएगी।
10. कोई भी श्रमिक नशे की हालत में कार्य पर नहीं आएगा तथा कारखाना परिसर में अल्कोहल पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे।
11. कार्य पर लगाए जाने वाले श्रमिकों का पूरा स्थायी एवं वर्तमान पता लिखित रूप में कारखाना को देना होगा। कोई भी श्रमिक अपराधिक चरित्र का नहीं होना चाहिए।
12. आवंटित कार्य को बताए गये समय सीमा पर, वांछित गुणवत्ता के साथ पूरा करने कराने की पूरी जिम्मेवारी संवेदक की होगी। कार्य की गुणवत्ता का नुकसान कार्य में विलम्ब अथवा चोरी में संलिप्त की स्थिति में वास्तविक नुकसान से 5 गुणा अधिक आर्थिक जुर्माना संवेदक के विपत्र/ जमानत राशि से वसूल होगा तथा इसकी लिए पूरी जमानत तथा विपत्र राशि के जब्त के साथ अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
13. योजना कर्मचारियों के निदेशों की अवहेलना, इनके साथ दुर्व्यवहार संवेदक अथवा उसके मजदूर द्वारा योजना के कार्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में हस्तक्षेप या योजना के हितों के विरुद्ध कार्य में संलिप्त की स्थिति में भी जमानत तथा विपत्र राशि के जब्त के साथ अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
14. कारखाना कार्य कलाप में आशयकतानुसार श्रमिक बढ़ाने या घटाने ठीकेदार का दायित्व होगा। श्रमिक के आभाव में कार्य बंद होता है तो उसकी भरपाई विपत्र से की जाएगी। कारखाना का कार्य आशयकतानुसार तीनो पालियों में होगा तथा तदनुसार श्रमिकों की व्यवस्था करना संवेदक की जिम्मेवारी होगी।
15. किसी भी विवाद को संवेदक एवं स्थानीय प्रबंधक मिल बैठ कर हल करेंगे अदालत में नहीं ले जाया जाएगा।
16. अनुबंध के अधीन विषय बस्तु के स्पस्टीकरण या इससे संबंधित विवाद में प्रबंध निदेशक, जे.एम.एफ., राँची या उनके द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी अरबिटेटर होगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। इस अनुबंध से उत्पन्न कोई भी विवाद इकाई न्यायलय क्षेत्र के अधीन होगा।
17. निविदा कागजात दिनांक **11.05.2018** से **21.05.2018** तक रु0 200.00 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है, अथवा जे. एम.एफ. की बेवसाईट www.jmf.coop से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
18. निविदा कूरियर/डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ दिनांक **26.05.2018** के अपराहन 4.00 बजे तक इस कार्यालय में पहुंच जाना चाहिये, जिसे दिनांक **28.05.2018** को **पूर्वाहण** 11:00 बजे दिन में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके एक प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। बाद में निविदा या डाक



की गड़बड़ी से निविदा नहीं प्राप्त होने या विलम्ब से प्राप्त होने पर कार्यालय इसके लिये जिम्मेवार नहीं होगा ।

19. आवंटित कार्य हेतु लगाए जाने वाला मजदुर वयस्क, स्वस्थ, व्यवहार कुशल, नशामुक्त तथा ईमानदार होना चाहिये, जिसके लिये निधारित पोशाक की व्यवस्था संवेदक द्वारा की जायेगी । शिकायत की स्थिति में संवेदक को वैकल्पिक मजदुर की व्यवस्था करनी होगी
20. सफल निविदादाता द्वारा कार्य नहीं स्वीकार करने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी ।
21. निविदा स्वीकार किये जाने पर सम्बन्धित संवेदक को 15 दिनों के अन्दर योजना के साथ 100 रूपया मूल्य की नॉन-जुडिशल स्टाम्प पेपर पर इकरार नामा करना होगा, सिसमे सभी शर्तें वर्णित होगी ।
22. आपसी सहमति से पूर्व से तय दर एवं शर्तों पर कार्य अवधि का विस्तार किया जा सकता है ।